भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai – 400 020. Tel No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

Government of India

Tr-no-2017 28/06/2023

No.PA-I/Ch.5/61268990/**GR/Madhya Pradesh/**61134032 Date: 27/06/2023

To,

Sr. Accounts Officer,
I/c EDP Support Section.

Subject: **Uploading of Govt. of Madhya Pradesh Orders on this office website.**

Sir,

This office has received Govt. of **Madhya Pradesh** Orders regarding Grant of Dearness Relief **@221% w.e.f. 01/01/2022**3

It is therefore requested to upload the said Orders on our office website i.e.

cag.gov.in/ae/mumbai/en

I am to forward herewith a copy of Government of Madhya Pradesh, Finance Deptt. Order No. **F No. 1657/ 21–B (1) / 2023 dated 18/04/2023.**

You are requested to do the needful at the earliest and inform this section accordingly.

Yours faithfully,

[signature]

Sr. Accounts Officer/PA-I

Encl : As stated.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र
2 री मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र.- (022)22039680, फॅक्स - 22086984.
ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA
2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai – 400 020. Tel No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं.P/23/Govt/**61268990/Madhya Pradesh**/Ch.5/जा.सं.61134032 dt. 27/06/23

सेवा में,

1. सभी खजाना कार्यालय,

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,
लेखा-को भवन, ए विंग,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
मुंबई-400 051.

विषय –**Grant of Dearness Relief @221% w.e.f. 01/01/2023 on Pension/Family pension of the Retired Judicial Officers of Madhya Pradesh State Govt. (From 212% to 221%)**

संदर्भ - **Govt. of Madhya Pradesh, Law & Legislative Affairs Deptt. Bhopal Order No. F No. 1657/ 21–B (1) / 2023 dated 18/04/2023.**

महोदय,

उपरनिर्दिट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Madhya Pradesh** के पत्र संख्या **Pension/522 A** दिनांक **30/05/2023** द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी **Madhya Pradesh** सरकार के **Retired Judicial Officers** पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **The said Orders have been uploaded on this office website.i.e. cag.gov.in/ae/mumbai/en**
कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/23/Govt/61268990/Madhya Pradesh/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई. 20, कस्तुरी बिल्डिंग, तल मजला, जे. टाटा मार्ग, H.P. Petrolium Hou
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
8. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Madhya Pradesh** के पत्र संख्या **Pension/522 A** दिनांक **30/05/2023.**

Tr. no. 2017
EDP (S)

52

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 1657 / 21–ब(एक) / 2023 भोपाल, दिनांक 18 / 04 / 2023

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत राशि के भुगतान बावत्।**

—

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा ऐसे केन्द्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों को जिन्हें सातवे वेतनमान का लाभ प्राप्त न होकर छटवे वेतनमान में लाभ प्राप्त हो रहा है को उनके ज्ञापन क्रमांक 1 / 3 / 2008–ई–II(बी), दिनांक 10 / 04 / 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) में मंहगाई भत्ता दिनांक 01 / 01 / 2023 से 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता / राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक ~~01.07.2022~~ 01/01/2023 से पेंशन पर राहत 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। x Attested Rajkumar

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1 / 3 / 2008–ई–II(बी), दिनांक 10.04.2023 में बताई गई रीति से होगा।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 1/3(1)/2008-E.II(B) दिनांक 29.08.2008 के पैरा–3, 4 और 5 में उल्लेखित शर्तें उक्त महंगाई भत्ते पर भी लागू रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(बी.के.द्विवेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग